



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062025-263508  
CG-DL-E-02062025-263508

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12, 1947

No. 15]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2025

**आ. अ.15 (अ).—**यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 02 जून 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा असम राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि 14 जून 2025 को 02 (दो) सदस्यों की पदावधि के अवसान पर उनकी सेवानिवृत्ति के कारण राज्य सभा में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए असम राज्य से उस सदन के लिए दो सदस्यों को निर्वाचित कर दें;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:—

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 09 जून 2025 (सोमवार)

(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख - 10 जून 2025 (मंगलवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 12 जून 2025 (गुरुवार)

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 19 जून 2025 (गुरुवार)

(ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 23 जून 2025 (सोमवार), और

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[फा.सं. 318/रा.स.-असम/2025 (1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2025

**O. N. 15(E).**— Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 02nd June, 2025, been pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of Assam, to elect 02 (two) members to the Council of States to fill the vacancies in that House caused due to the retirement of the sitting members on 14<sup>th</sup> June, 2025 on the expiration of their term of office;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission hereby:—

**(A) appoints,** with respect to the said election;

- (a) the 09<sup>th</sup> June, 2025 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) the 10<sup>th</sup> June, 2025 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 12<sup>th</sup> June, 2025 (Thursday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 19<sup>th</sup> June, 2025 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 23<sup>rd</sup> June, 2025 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

**(B) fixes the hours** from **09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the above-mentioned State on the date specified above for the election.

[F.No. 318/CS-AS/2025(1)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.